"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक/412/एफ 1-28/2005/38-1.— यतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए तथा उच्च शिक्षा में मानको के संधारण के लिये अन्य मापदण्ड) विनियम, 2010' निर्मित किये गये हैं, जो अन्य बातों के साथ, शासकीय तथा अशासकीय (सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी तथा विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति के मामले में न्यूनतम अर्हता उपबंधित करते हैं;

और यतः, उक्त विनियमों का खण्ड 1.2 उपबंधित करता है कि वे केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय को तथा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटक या संबंद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्था को लागू होंगे;

और यतः, यह समीचीन है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को बनाए रखने के लिए उक्त विनियमों से संलग्न परिशिष्ट के खण्ड 3.3.1, 4.5.3 तथा 4.6.3 के उपबंधों के अनुरूप नियम निर्मित करे;

अतएव, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय एवं अशासकीय (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, खेल अधिकारी एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए राज्य पात्रता परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयों (शासकीय एवं निजी) से संबंधित समस्त अधिनियम;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय या एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संघटक महाविद्यालय;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "नेट" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

(च) "सेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा;

(छ) "राज्य एजेन्सी" से अभिप्रेत है कोई विश्वविद्यालय या परीक्षा आयोजित करने वाली ऐसी प्रतिष्ठित संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सेट आयोजित करने हेतु चिन्हांकित किया गया हो;

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(झ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य में सुसंगत अधिनियमों के अधीन (शासकीय एवं निजी) स्थापित निश्वविद्यालय।

3. **प्रयोज्यता.**– ये नियम परीक्षा संचालन के लिये एवं इस नियम में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के संबंध मे पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, खेल अधिकारी के पदों के लिये तथा विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) के पद के लिए आकांक्षी हैं।

4. **विषय.**– (1) परीक्षा केवल उन विषयों में ही आयोजित की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त हों एवं परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व तद्नुसार अधिसूचित किये गये हों।
(2) अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक पूर्वापेक्षा है कि वे सम्बंधित विषय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य स्नातकोत्तर उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि न्यूनतम अंकों के साथ, जैसा कि इन नियमों के उप–नियम 5 (1) एवं 5 (2) में यथाविहित है, उत्तीर्ण किये हों।
(3) वैध उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी विषयों के संगत विषय समूह के अन्तर्गत निम्नानुसार विषयों मे सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं:–

स. क्र.	विषय समूह	विषय
1.	राजनीतिशास्त्र	राजनीतिशास्त्र या लोक प्रशासन
2.	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र या व्यावहारिक अर्थशास्त्र

3.	इतिहास	इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास या संस्कृति एवं पुरातत्व
4.	फिजीकल साइंस	भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स
5.	केमिकल साइंस	रसायन शास्त्र या बॉयोकेमिस्ट्री या व्यावहारिक रसायन या औद्योगिक रसायन या पर्यावरण रसायन या व्यावहारिक बॉयोकेमिस्ट्री
6.	लाइफ साइंस (जीव विज्ञान)	वनस्पतिशास्त्र या प्राणीशास्त्र या माइक्रोबायोलॉजी या बॉयोसाइंस या बॉयोटेक्नालॉजी या लिम्नोलॉजी या जेनेटिक्स या पर्यावरण विज्ञान या बॉयोइन्फारमेंटिक्स या इण्डस्ट्रियल माइको बॉयोलॉजी
7.	गणित	गणित या सांख्यिकी

नोट– उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य/राज्य एजेंसी को इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार विषय एवं विषय समूह को जोड़ने या परिवर्तन करने की शक्ति होगी, लेकिन उसे परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व विधिवत अधिसूचित किया जाना आवश्यक होगा।

(4) एक अभ्यर्थी मात्र उसी विषय में नियुक्ति के लिये पात्र होगा जिस विषय में उसने स्नातकोत्तर परीक्षा तथा सेट उत्तीर्ण की है।

5. **पात्रता**.– (1) सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों (या किसी ग्रेडिंग पद्धति में समतुल्य ग्रेडिंग) के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
(2) सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों (या किसी ग्रेडिंग पद्धति में समतुल्य ग्रेडिंग) के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
(3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य–परीक्षा में 54.99% अंक या उससे कम (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये 49.99% अंक या उससे कम) अंक अर्जित किये हैं, उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। इस विषय में अंकों को पूर्णांक करने का कोई प्रावधान नहीं है।
(4) ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों या हो चुके हों तथा जिनका परीक्षाफल प्रतीक्षित है या जिन अभ्यर्थियों की अर्हकारी परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं, वे भी सेट में सम्मिलित हो सकते हैं, तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को प्रावधिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा तथा वे तभी पात्र होंगे जब वे स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य उपाधि परीक्षा, कम से कम 55% अंकों के साथ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50%) सेट परीक्षा, जिसमें वे सम्मिलित हो चुके हैं, की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर चुके हों तथा ऐसा करने में विफल होने पर उन्हें अयोग्य माना जायेगा।
(5) इस परीक्षा में केवल भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
(6) केवल इस राज्य के स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में छूट की पात्रता होगी, जैसा कि उप–नियम (2) में उल्लिखित है।
(7) सेट केवल एक पात्रता परीक्षा है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

6. **वैधता**.– सेट प्रमाण–पत्र की वैधता हमेशा के लिये रहेगी। यह प्रावधान उन प्रमाण पत्रों पर भी लागू होंगे जो वर्ष 2006 में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) आयोजन उपरान्त जारी किये गये थे।

7. **आयु सीमा.**— यद्यपि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये कोई आयु सीमा नहीं है, तथापि, आयु तथा आयु में छूट के संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों सहित संबंधित नियमों/ परिनियमों/अध्यादेशों के उपबंध जहां कहीं भी लागू हों, नियुक्ति के लिये आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रचलित रहेंगे।

8. **चयन प्रक्रिया.**— (1) राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा नियत राज्य एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

(2) (क) वे अभ्यर्थी जो पहले से ही संबंधित विषय में राज्य द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ स्लेट उत्तीर्ण हैं उन्हें पुनः सेट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जिन्होंने अन्य राज्यों में 1 जून 2002 के पश्चात् आयोजित सेट/स्लेट उत्तीर्ण की हो, को इस राज्य में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी एवं उन्हें पात्रता हासिल करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित सेट उत्तीर्ण करनी होगी।

(ग) नेट उत्तीर्ण अभ्यथी सेट उत्तीर्ण करने की शर्त से मुक्त रहेंगे।

(3) विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों, एवं निजी महाविद्यालयो (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) में भर्ती, विज्ञापन के प्रचलित समय पर विद्यमान नियमों/अधिनियमों/परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों इत्यादि के अनुसार की जायेगी।

9. **सेट का संचालन.**— (1) सेट का संचालन यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सेट का पाठ्यक्रम एवं पद्धति वही होगी जो कि यूजीसी एवं सीएसआईआर द्वारा संचालित नेट के लिये यथा विहित है।

10. **सेट शुल्क.**— सेट शुल्क राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11. **विवाद.**— (1) परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के विवाद, यदि कोई हों, का निराकरण राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

(2) नीतिगत मामलों में विवाद के संबंध में निर्णय छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया जायेगा तथा यह निर्णय सभी पर बंधनकारी होगा।

12. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये उपबंधित तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

New Raipur, the 5th February 2013

NOTIFICATION

No./412/F 1-28/2005/38-1.— Whereas, the University Grants Commission (UGC) has framed regulations, 'the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010' which, *inter alia*, provides for minimum qualifications in case of appointment of Assistant Professor, Librarian, Sports Officer in Government and Non-Government (aided and non-aided) Colleges and Assistant Professor, Assistant Librarian, Assistant Director (Physical Education) in Universities;

And whereas, clause 1.2 of the said regulations provides that they shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act and to every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission;

And whereas, it is expedient for the State Government to frame rules in conformity with the provisions of clause 3.3.1, 4.5.3 and 4.6.3 of Annexure appended to the said regulations for the maintenance of standards in higher education;

Now therefore, the State Government, hereby, makes the following rules relating to State Eligibility Test for the purposes of the appointment of Assistant Professor, Librarian, Sports Officer in Government and Non-Government (aided and non-aided) Colleges and Assistant Professor, Assistant Librarian, Assistant Director (Physical Education) in Universities, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Eligibility Test Rules, 2013.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means all Acts related to Universities (Government and Private) of the State of Chhattisgarh;

   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) "College" means a College affiliated to a University or a constituent college under a University;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "NET" means the National Eligibility Test;

   (f) "SET' means the State Eligibility Test;

   (g) "State Agency" means a university or a reputed body conducting the examination or a reputed agency identified by the State Government from time to time, to conduct the SET;

   (h) "State" means State of Chhattisgarh;

   (i) "University" means University (Government and Private) established in the State under relevant Acts.

3. **Applicability.-** These rules shall be applicable for the purpose of determination of the eligibility regarding appointment to the posts mentioned in this rule and for conducting examination and to those candidates who aspire for the post of Assistant Professor, Librarian, Sports Officers in Government and Non-Government (aided and non-aided) Colleges and Assistant Professor, Assistant Librarian and Assistant Director (Physical Education) in Universities.

4. **Subject.-** (1) Examination shall be conducted only in those subjects which are permitted by University Grants Commission and notified accordingly prior to the commencement of the examination.
(2) It shall be an essential pre-requisite for the candidates to pass two year post graduate degree or an equivalent post graduate degree in concerned subject with minimum marks, as prescribed in sub-rule 5(1) and 5(2) of these rules from a recognized university or an equivalent degree from a Foreign University.
(3) Valid degree holder candidates are eligible to participate in subjects corresponding to the subject group as under:-

S. No.	Subject Group	Subjects
1.	Political Science	Political Science or Public Administration
2.	Economics	Economics or Applied Economics
3.	History	History or anciont Indian History Culture and Archeology
4.	Physical Science	Physics or Electronics
5.	Chemical Science	Chemistry or Biochemistry or Applied Chemistry or Industrial Chemistry or Environmental Chemistry or Applied Biochemistry
6.	Life Science	Botany or Zoology or Microbiology or Bio-Science or Bio-technology or Limnology or Genetics or Environmental Science or Bioinformatics or Industrial Microbiology.
7.	Mathematics	Mathematics or Statistics

Note- In addition to the above, State / State Agency shall have the power to add or alter the subjects and the subject groups in accordance with the directions of the University Grant Commission in this matter. But the same must be duly notified prior to the commencement of the examination.

(3) A candidate shall be eligible for appointment only in a subject in which he has passed the Post-Graduate Examination and SET.

5. **Eligibility.-** (1) Candidates belonging to General and Other Backward Classes category must have passed post graduate or equivalent examination with at least 55% marks (or an equivalent grade in a grading system) from a recognized university so as to appear in SET examination.

(2) Candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Persons with disability category, the minimum requirement is post-graduation or equivalent with at least 50% marks (or an equivalent grade in a grading system) from a recognized university so as to appear in SET examination.

(3) Candidates who have secured 54.99% marks or below (49.99% marks or below for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and persons with disability candidates) at post graduate level or its equivalent examination shall not be eligible for this test. There is no provision of rounding off the marks in this matter.

(4) Candidates, who have appeared or are appearing for the qualifying Master's Degree examination and whose result is awaited or candidates whose qualifying examination has been delayed, may also apply for SET, however, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible only after they have passed the Master's Degree examination or equivalent degree with at least 55% marks (50% in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and persons with disability candidates) within one year from the date of the SET examination in which they have appeared and upon failure to do so, they shall be treated as disqualified.

(5) Only Indian Nationals can appear in the test, candidates from other States can also appear in this test.

(6) Only Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates, who are local residents of the State are entitled to get relaxation in minimum marks, as mentioned in sub-rule (2) above.

(7) SET is only an eligibility examination and passing this examination does not confer any right for appointment.

6. **Validity.-** The validity of the SET certificate is forever. This provision shall also be applicable on those certificates which were issued after the State Level Eligibility Test (SLET) was organised by the State in the year 2006.

7. **Age limit.-** Though there shall be no age limit for appearing in SET examination, however, the provisions of respective rules/Acts/ Regulations/Statutes/Ordinances etc. along with the directions mentioned in circular regarding age and relaxation in age issued by the General Administrative Department of State, wherever applicable, shall prevail, mutatis mutandis, for appointments.

8. **Selection procedure.-** (1) The State Eligibility Test shall be conducted by the State agency, assigned by the State Government.

(2) (a) Candidates who have already cleared Chhattisgarh SLET conducted by the State in the concerned subject, need not clear the SET again.

(b) Candidates belonging to other States, who have cleared SET/ SLET organised in other States, after 1st June 2002 are not eligible for appointment in this State and are therefore required to clear the SET organised by the State of Chhattisgarh, so as to attain eligibility.

(c) NET qualified candidates shall be exempted from the condition of qualifying SET.

(3) Recruitment in Universities, Government Colleges and Private Colleges (aided and non aided) shall be made as per the respective existing Rules/Acts/Statutes/Ordinances/ Regulations etc. prevailing at the time of advertisement for recruitment.

9. **Conduct of SET.-** (1) The SET shall be conducted as per the guidelines issued by the UGC.

(2) The syllabus and pattern of SET shall be the same as prescribed for NET conducted by UGC and CSIR.

10. **SET fee.-** The State Agency shall decide the SET fee.

11. **Dispute.-** (1) The State Agency, in consultation with the State Government, shall resolve the dispute, if any, in all matter(s) related to the conduct of the examination.
(2) In matter relating to dispute on policy matter, decision shall be taken by the Government of Chhattisgarh, department of higher education and the decision shall be binding for all.

12. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.